रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1972/फाल्गुन 27, 1893
**No. 154] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1972/PHALGUNA 27, 1893**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

**(Department of Industrial Development)**

ORDER

*New Delhi, the 17th March* 1972

**S.O. 207(E)/IDRA/15A/72.**—Whereas Sri Palamalai Ranganathar Mills, Perianaickenpalayam, Coimbatore and The Pankaja Mills Ltd., Coimbatore, owning industrial undertakings, are being wound up under the supervision of the Madras High Court and the business of these companies is not being continued;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary, in the interests of the general public, and, in particular, in the interests of production of cotton textiles to investigate into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertakings;

And whereas an application being made by the Central Government to the Madras High Court praying for permission to make an investigation into such possibility, the Madras High Court has granted the permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making investigation into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertakings, a body of persons consisting of—

*Chairman*

(1) Shri C. A. Subramanyam, 40, Pois Garden, Gopalapuram, P.O. Madras—86.

*Member*

(2) Shri G. V. S. Desikant, Technical Director, Tamil Nadu Textile Corporation Ltd., Madras.

*Member-Secretary*

(3) Shri P. G. Rao, Regional Controller, National Textile Corporation, Southern Region, Bangalore.

[No. F. PEC-25(45)/72.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

का० आ० 207(अ)/आई० डी० आर० ए/15ए/72.—यत: श्री पलामलाई रंगनाथर मिल्स, परियानाइकेनपलायम, कोयम्बतूर तथा दि पंकज मिल्स लि०, कोयम्बतूर का, जिनके स्वामित्व में औद्योगिक उपक्रम हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के पर्यवक्षण के अधीन समापन किया जा रहा है और इन कम्पनियों का कारबार चालू नहीं रखा जा रहा है;

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जनसाधारण के हित में और विशिष्टत: सूती वस्त्र के उत्पादन के हित में यह आवश्यक है कि उपरोक्त औद्योगिक उपक्रमों को पुन: चालू करने की सम्भावना की जांच की जाए;

और यत: केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय को एसी सम्भावना की जांच करने हेतु अनुज्ञा के लिए प्रार्थना आवेदन किए जाने पर, मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुज्ञा दे दी है ;

अत: अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उपरोक्त औद्योगिक उपक्रमों को पुन: चालू करने की सम्भावना की जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करके एक निकाय को एतद्द्वारा नियुक्त करती है :—

(1) श्री सी० ए० सुब्रह्मण्यम्, . . . . . अध्यक्ष
40, पोइस गार्डन, गोपालपुरम्, पी० आ० मद्रास—86

(2) श्री जी० वी० एस० देसिकान्त . . . . . सदस्य
तकनीकी निदेशक, तमिलनाडु वस्त्र निगम लि०, मद्रास।

(3) श्री पी० जी० राव, . . . . . . सदस्य-सचिव
क्षेत्रीय नियन्त्रक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, दक्षिणी क्षेत्र, बंगलौर।

[सं० फा० पी ई सी 25(45)/72]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972